भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1451

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस का डिजिटलीकरण

1451. श्री अ. मनि:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले सहित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डिजिटलीकरण के प्रयासों की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वचालित प्रचालन के लिए डिजिटल अवसंरचना से युक्त उचित दर की दुकानों (एफपीएस) का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और क्या डिजिटलीकरण ने वितरण प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या डिजिटल प्रणाली शुरू होने के बाद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संसाधनों की चोरी और लीकेज में कोई मापने योग्य कमी आई है;

(ड.) लाभार्थियों के सत्यापन के लिए उचित दर दुकानों पर आधार आधारित प्रमाणीकरण और ई-प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विशेषकर दूरस्थ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है; और

(छ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि डिजिटल पीडीएस के निर्बाध प्रचालनों को सहायता प्रदान की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटीकृत कर दिया गया है। अब तक देश में (तमिलनाडु राज्य सहित) कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.41 लाख से अधिक दुकानों को ईपीओएस उपकरण लगाकर स्वचालित किया जा चुका है।

....2/-

वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में 100% राशन कार्ड आधार संख्या से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में सभी 34,805 उचित दर दुकानों (एफपीएस) में ईपीओएस उपकरण संस्थापित कर उनको स्वचालित किया गया है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटीकृत करने का मुख्य उद्देश्य वितरण प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना तथा खाद्यान्नों के रिसाव और डायवर्जन जैसी विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है। वर्ष 2013 से टीपीडीएस प्रचालनों अर्थात राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, डुप्लीकेट की पहचान, अपात्र रिकॉर्ड, मृत्यु, लाभार्थियों का स्थायी प्रवास आदि में प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2013 से 2024 (आज तक) के दौरान लगभग 5.87 करोड़ राशन कार्डों को सूची से हटाने में सक्षम हुए हैं, ताकि न्यायसम्मत लक्ष्यीकरण किया जा सके।

(ड.): लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के साथ खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण संस्थापित कर 5.41 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) को स्वचालित किया गया है।

(च) और (छ): कुछ राज्यों में दूरस्थ स्थानों/शेडो/बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों हेतु इंटरनेट/कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग से इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया गया है। लाभार्थी बिना किसी इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का सामना किए बिना किसी भी ईपीओएस उपकरण द्वारा प्रचालित उचित दर दुकान से अपने पात्र खाद्यान्नों की उठान करने के लिए अधिकृत हैं। ईपीओएस उपकरणों में सीमित/बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑफ़लाइन मोड में काम करने की कार्यक्षमता है। ऑफ़लाइन ईपीओएस डाटा को पीडीएस ऑनलाइन प्रणाली के साथ सिंक करने के लिए ईपीओएस उपकरणों को समय-समय पर नेटवर्क क्षेत्र में लाना होगा।

*****